कार्यालयः— जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा

सूचना

सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, सरकार राँची के पत्रांक 1530 दिनांक 03.07.2015 के निदेशानुसार , झारखण्ड अद्यिविद् परिषद् द्वारा कक्षा 06 से 08 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्ण आवेदकों से गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक के रिक्त पदों पर कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या—03 / 2015 के द्वारा विहित प्रपत्र में पोस्ट / निबंधित डाक के माध्यम से आवदेन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

उक्त विज्ञप्ति के आलोक में निर्धारित अवधि तक कक्षा 06 से 08 के लिए कुल 4223 आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त हुए थे। प्रथम, द्वितीय,तृतीय,चतुर्थ एवं पंचम काउंसिलिंग के उपरांत शेष रिक्त पदों हेतु सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड के पत्रांक 2641 दिनांक 16.11.2015 में निहित निदेशों के अंतर्गत षष्ठम काउंसेलिंग हेतु मेधा सूची तैयार करते हुए अभ्यर्थियों के अवलोकन हेतु जिला के आधिकारिक वेबसाईट www.simdega.nic.in पर संधारित की जा रही है। कुछ कोटि में योग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उनके लिए चिन्हित रिक्तियों को रिक्त रखा गया है। कृपया गैर पारा पदों के विरूद्ध चयनित कार्यरत पारा शिक्षक काउंसेलिंग में भाग नहीं लेंगे।

मेधा सूची के अभ्यर्थियों के लिए काउंसेलिंग मात्र यह निर्धारित एवं मिलान करने के लिए किया जाना है कि उनके आवेदन के साथ संलग्न छाया प्रति अभिलेख का मूल अभिलेख, विशेषकर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से वांछित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक / आवासीय / आरक्षण कोटि एवं अन्य का प्रमाण पत्र, आवेदक के पास वास्तविक रूप से उपलब्ध है। अतएव काउंसेलिंग हेतु बुलावा का अर्थ नियुक्ति हेतु बुलावा नहीं है अथवा काउंसेलिंग में सफल पाए जाने का अर्थ उनकी नियुक्ति की संपुष्टि नहीं है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पारा एवं गैर पारा दोनों कोटि में चयन हेतु अपना आवेदन समर्पित किया है, के मामले में जिला शिक्षा स्थापना समिति, सिमडेगा के निर्णय के आलोक में उनका दावा सिर्फ पारा कोटि में ही स्वीकार किया गया है। यह नियुक्ति अथवा नियुक्ति की संपुष्टि का एकल अंतिम आधार नहीं है एवं वर्त्तमान अथवा भविष्य में जाँच में कोई भी गलत तथ्य पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की दावेदारी / नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध वैधानिक कारवाई भी की जा सकेगी।

काउंसेलिंग हेतु मेधा सूची में अंकित अभ्यर्थियों का काउंसेलिंग की तिथि निम्नवत् निर्धारित की गई है।

काउंसेलिंग की तिथिएवं समय	स्थान	प्रतिभागी का विवरण
08-12-2015 (प्रातः 10.30 बजे से संध्या 5. 00 बजे तक)	**एम0डी0एम0 कोषांग** (बैंक ऑफ इंडिया के सामने), समाहरणालय भवन, 'सी' ब्लॉक, ग्राउण्ड फ्लोर, खुँटीटोली, सिमडेगा।	कक्षा 06 से 08 के सभी कोटि के चयनित अभ्यर्थी

काउंसेलिंग के कम में संबंधित अभ्यर्थियों को निम्न कागजातों के साथ उपायुक्त सिमडेगा द्वारा गठित बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है :–

1. सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के पठनीय अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्रों के साथ।
2. महिला अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब वो सक्षम पदाधिकारी का नियोजन हेतु प्रमाण पत्र(न्यूनतम अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर का) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. झारखण्ड टेट प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ।
4. सक्षम प्राधिकार (अनुमण्डल पदाधिकारी या उससे उपर के पदाधिकारी) द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र (नियोजन हेतु) एवं जाति प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ। उक्त दानों प्रमाण–पत्र अद्यतन एवं विहित–प्रपत्र में होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
5. पासपोर्ट साईज का दो रंगीन फोटोग्राफ।
6. विकलांग कोटि में चयनित अभ्यर्थी को विकलांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ।
7. चयनित अभ्यर्थी यदि पारा शिक्षक है तो उन्हें प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति मूल प्रमाण पत्र के साथ।
8. काउंसेलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस आशय का स्वःघोषणा पत्र देना आवश्यक होगा कि वे किसी दूसरे जिले में शिक्षक पद पर कार्यरत नहीं है। यदि कार्यरत है तो इस जिले में आवदेन पत्र देने के पूर्व संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक से अनुमति प्राप्त की गई या नहीं?
9. डी० पी० ई० योग्यताधारी अभ्यर्थी जिनका चयन गैर पारा श्रेणी में की गई है उनके आवेदन पत्र में पारा शिक्षक के विवरण का कॉलम खाली है तथा प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि डी० पी० ई० की योग्यता उन्होनें कैसे हासिल की तथा वर्त्तमान में वे पारा शिक्षक के पद पर कार्यरत नहीं है।
10. पारा शिक्षक के रुप में कार्यरत रहते हुए जिन्होंने अपनी शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता बढ़ाई है उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि कार्यकाल के दौरान योग्यता कैसे हासिल की तथा इसके लिए क्या कोई विभागीय अनुमति प्राप्त है।
11. ऐसी सूचना है कि पारा शिक्षक जिनका चयन पूर्व में शिक्षक पद पर हो चुका है वैसी स्थिति में वर्त्तमान में वे पारा शिक्षक नहीं हो सकते है। फिर भी उनके आवेदन पत्र के आलोक में पारा शिक्षक श्रेणी में चयन किया गया है। पारा कोटि में चयनित सभी अभ्यर्थियों को इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि वे किसी विद्यालय में शिक्षक के रुप में नियुक्त नहीं है।
12. पारा शिक्षक , जिनका चयन वर्ष 2010 के उपरांत हुआ है को उनके चयन से संबंधित सारे कार्यवाही की स्वअभिप्रमाणित प्रति काउंसेलिंग के समय उपस्थापित करना होगा।
13. 22सें० मी० X 10सें० मी० का एक स्टैन्डर्ड साईज लिफाफा जिसपर 27/– रुपये का स्टाम्प टिकट सटा हुआ हो तथा जिसपर अभ्यर्थी का पत्राचार का पता स्पष्ट रुप में लिखा हुआ हो ताकि पत्र प्राप्ति में कोई कठिनाई न हो।

सभी कागजात प्लास्टिक बंद कभर फाईल में रखना होगा। फोल्डर के उपर आवेदित पद का नाम, डाटाबेस कमांक संख्या, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं मेधा कमांक/कोटि अंकित होगा।

काउंसेलिंग में शामिल होने हेतू अलग से कोई पत्र नहीं दिया जायेगा तथा निर्धारित तिथि को काउंसेलिंग में अनुपस्थित होने वाले अभ्यर्थी का चयन रदद् करते हुए उसके विरुद्ध दूसरे अभ्यर्थी का चयन कर लिया जायेगा।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
सिमडेगा।